



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsbikaner.ac.in

दिनांक 19/11/22

प.07()मंगसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-36/2022/21953-69

प्रबन्ध बोर्ड की 36 वीं बैठक कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 36वीं बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2022 को प्रातः 11:30 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) में माननीय कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

1	प्रो. विनोद कुमार सिंह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	श्रीमती कृष्णा पूनिया माननीया विधायक-सादुलपुर	सदस्य
3	श्री जगदीश चन्द्र माननीय विधायक-सादुलशहर	सदस्य
4	डॉ. राकेश हर्ष, सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा नामित, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर	सदस्य
5	डॉ. वरुण यादव माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाईन माध्यम से)
6	प्रो. कृपाशंकर तिवाडी माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाईन माध्यम से)
7	डॉ. विनोद चन्द्रा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
8	डॉ. एन.एस. बिस्सा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाईन माध्यम से)
9	डॉ. भगवानाराम विश्नोई राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
10	डॉ. अनन्त जोशी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
11	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
12	डॉ. जी.पी. सिंह कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
13	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
14	प्रो. राजाराम चोयल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
15	श्री यशपाल आहुजा, कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में उपस्थित एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। विशेषकर प्रबन्ध बोर्ड में शासन सचिव के नामित सदस्य के रूप में उपस्थित सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा डॉ. राकेश हर्ष जी, नव मनोनीत सदस्य डॉ. जी.पी. सिंह का हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया।

तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के निवर्तमान माननीय सदस्य डॉ. मीनू पूनिया एवं सदस्य सचिव श्री राणीदान बारेठ का प्रबन्ध बोर्ड बैठक एवं विश्वविद्यालय में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का षष्ठम् दीक्षान्त समारोह दिनांक 20 फरवरी, 2022 को आयोजित होने जा रहा है। उक्त दिवस को ही विश्वविद्यालय में नव-निर्मित ऑडिटोरियम एवं इण्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण समारोह आयोजित करवाये जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें निम्नलिखित माननीय महोदय को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है :-

1. माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत
2. माननीय राज्यपाल, राजस्थान
3. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
4. श्री अर्जुनराम जी मेघवाल, केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री
5. डॉ. बी.डी. कल्ला, माननीय शिक्षा मंत्री
6. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री
7. श्रीमती कृष्णा पूनिया, माननीय विधायक-सादुलपुर
8. श्री जगदीश चन्द्र, माननीय विधायक-सादुलशहर
9. समस्त माननीय सदस्य प्रबन्ध बोर्ड

तत्पश्चात् दिनांक 31 जुलाई, 2021 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण से प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों को अवगत कराया गया :-

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
454	दिनांक 05-02-2021 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की 35वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव। परिशिष्ट-1 (पृष्ठ संख्या : 1-6)	
निर्णय	पुष्टि की गई।	शैक्षणिक
455	दिनांक 05-02-2021 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 35वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	

Handwritten signature

	परिशिष्ट-2	(पृष्ठ संख्या : 7-27)
निर्णय	<p>प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 05-02-2021 की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये :-</p> <p>(1) विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की मूर्ति दिनांक 30 जनवरी, 2022 तक प्रतिस्थापित करवाकर स्थल को पार्क के रूप में विकसित कर गांधी जी के संदेशों एवं विचारों को पत्थर पर खुदाई करवाकर लगवाये जाए।</p> <p>(2) विश्वविद्यालय परिसर में बनाये जाने वाले सिथेटिक एथेलेटिक ट्रैक के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए एस्टीमेट तैयार करवाने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को स्मरण पत्र लिखा जावे। साथ ही एन.पी.सी.सी. (National Projects Construction Corporation) से भी एस्टीमेट प्राप्त करने का सुझाव दिया।</p> <p>(3) विश्वविद्यालय परिसर में साईकिल वेलोड्रम का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण नहीं होने पर प्रबन्ध बोर्ड ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये।</p> <p>(4) विश्वविद्यालय परिसर में नव-निर्मित ऑडिटोरियम, इण्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं सिथेटिक एथेलेटिक ट्रैक के नामकरण हेतु दोनों माननीय विधायक सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर नाम प्रस्तावित करेंगे।</p> <p>(5) निदेशक, शोध के पद हेतु शैक्षणिक पात्रता/अनुभव के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को अनुशंसित करते हुए विनियम के रूप में अनुमोदन हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को भिजवाने का निर्णय लिया गया।</p>	
456	दिनांक 31-07-2021 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव।	(पृष्ठ संख्या : 28-32)
	परिशिष्ट-3	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
457	दिनांक 31-07-2021 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	(पृष्ठ संख्या : 33-43)
	परिशिष्ट-4	

Pran


निर्णय	<p>प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विशेष बैठक दिनांक 31-07-2021 की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये :-</p> <p>(1) विश्वविद्यालय के नैक निरीक्षण से प्राप्त "सी" ग्रेड के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर रही कमियों की जाँच एवं भविष्य में उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराने के निर्देश प्रदान किये। बैठक के दौरान माननीय सदस्यों को नैक निरीक्षण दल रिपोर्ट एवं प्राप्त सर्टिफिकेट की प्रति उपलब्ध करवाकर सदस्यों से लिखित में सुझाव आमंत्रित किये गए हैं। नैक हेतु प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>(2) विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, नियम आदि शीघ्र बनवाये जाने के निर्देश प्रदान किये।</p>
458	<p>विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक दिनांक 22-11-2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन का प्रस्ताव।</p> <p>परिशिष्ट-5 (पृष्ठ संख्या : 44-63)</p>
निर्णय	विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवाही अनुमोदन किया गया।
459	<p>वर्ष 2017 में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों के अतिरिक्त अशैक्षणिक संवर्ग के पदों पर जारी विज्ञापन संख्या 02/2017 एवं 03/2017 को निरस्त कर पुनः विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव।</p> <p>परिशिष्ट-6 (पृष्ठ संख्या : 64-79)</p>
निर्णय	अनुमोदन किया गया।
460	<p>विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों की योग्यता एवं चयन प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव</p> <p>परिशिष्ट-7 (पृष्ठ संख्या : 80-84)</p>
निर्णय	समिति की अनुशंसा को अनुशंसित करते हुए विनियम के रूप में अनुमोदन हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
461	<p>प्रतिवेदित है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर मूल याचिका संख्या 3727/2018 में पारित निर्णय के विरुद्ध खण्ड पीठ में दायर अपील में पैरवी हेतु नियुक्त विशेष अधिवक्ता श्री राजदीपक रस्तोगी के विधिक बिल के भुगतान के अनुमोदन का प्रस्ताव।</p> <p>परिशिष्ट-8 (पृष्ठ संख्या : 84-A)</p>

Handwritten signature

निर्णय	विश्वविद्यालय वित्त नियंत्रक को अधिकृत करते हुए नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
462	<p>प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 20241-49 दिनांक 21.11.2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियमानुसार श्री ऋषिराज पाराशर पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र पाराशर को 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में स्थिर मासिक पारिश्रमिक रूपये 14600/- पर कनिष्ठ सहायक (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। श्री ऋषिराज पाराशर द्वारा उक्त पद पर दिनांक 23.11.2020 को कार्यग्रहण कर लिया गया। श्री ऋषिराज पाराशर का नियुक्ति आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।</p> <p>परिशिष्ट-9 (पृष्ठ संख्या : 85-86)</p>
निर्णय	पुष्टि की गई।
463	<p>प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में दिनांक 22-24, मार्च 2021 तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के निरीक्षण के दृष्टिगत माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 36300 दिनांक 18.03.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालय में चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सीय परामर्श हेतु डॉ. उमराव सिंह भाटी, चिकित्सा अधिकारी एवं श्री जयदेव स्वामी, नर्सिंग कर्मी की दिनांक 19.03.2021 से 02.04.2021 तक कुल 15 दिवस की अवधि के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर सेवाएं लेने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा उक्त अवधि हेतु चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग कर्मी को क्रमशः रूपये 28000/- व 7000/- का भुगतान किया गया। उक्त आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।</p> <p>परिशिष्ट-10 (पृष्ठ संख्या : 87-88)</p>
निर्णय	पुष्टि की गई।
464	<p>रेड क्रॉस सोसायटी एवं विश्वविद्यालय के मध्य एम.ओ.यू. सम्पादित करने हेतु प्राप्त प्रारूप के अनुमोदन का प्रस्ताव।</p> <p>परिशिष्ट-11 (पृष्ठ संख्या : 89-93)</p>
निर्णय	एम.ओ.यू. के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
465	<p>वर्तमान कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय में प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठकें वर्चुअल (ऑनलाईन) माध्यम से आयोजित कराई जा रही है। भौतिक रूप से आयोजित होने वाली बैठकों में माननीय सदस्यों को बैठक सीटिंग चार्ज दिया जा रहा है। अतः ऑनलाईन (वर्चुअल) माध्यम से आयोजित होने वाली बैठकों में सम्मिलित होने वाले माननीय सदस्यों को निर्धारित सीटिंग चार्ज का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।</p>

M. J. Kumar

निर्णय	अनुमोदन किया गया।
466	वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में विश्वविद्यालय में वाहन क्रय करने हेतु राशि रू. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है। उक्त मद से माननीय कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा कार्यो हेतु तीन नये वाहन क्रय करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	विश्वविद्यालय में तीन नवीन वाहन क्रय एवं पुराने वाहनों को नियमानुसार निलामी प्रक्रिया साथ-साथ करने के निर्देश दिये।
467	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारण के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव। (पृष्ठ संख्या : 94-119) परिशिष्ट-12
निर्णय	शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु समिति द्वारा अनुशंसित रोस्टर को स्वीकार करते हुए अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
468	फाईन आर्ट्स (ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग) विभाग में तकनीकी सहायक की भर्ती हेतु योग्यता एवं चयन प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव। (पृष्ठ संख्या : 120-123) परिशिष्ट-13
निर्णय	समिति की अनुशंसा को अनुशंसित करते हुए विनियम के रूप में अनुमोदन हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
469	प्रतिवेदित है कि प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 33100 दिनांक 08-03-2016 के अनुसार परीक्षात्मक एवं अन्य कार्यो हेतु पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में परीक्षा वर्ष 2021 के लिए भी परीक्षात्मक एवं अन्य कार्यो हेतु पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान की स्वीकृति आदेश क्रमांक 16400 दिनांक 28-10-2021 प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। (पृष्ठ संख्या : 124) परिशिष्ट-14
निर्णय	पुष्टि की गई।
470	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सेवा नियम (जो इस विश्वविद्यालय में लागू हैं) के अनुसार पात्र अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान करने के लिए पुनर्विचार करने का प्रस्ताव। (पृष्ठ संख्या : 125-142) परिशिष्ट-15
निर्णय	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सेवा नियमों के अन्तर्गत अधिकारियों की पदोन्नति हेतु जारी आदेश क्रमांक 2815 दिनांक 05-02-2020 को अंगीकृत करते हुए उपरोक्त प्रावधान



	में उप कुलसचिव से अतिरिक्त कुलसचिव पद को सम्मिलित करते हुए उक्त संशोधन की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	
प्रबन्ध बोर्ड की 35 वीं बैठक के शेष मद		
445	प्रतिवेदित है कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9(1)वित्त-1/(1)आ.व्य./2020 जयपुर दिनांक 03 सितम्बर, 2020 के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक प्रकृति की सामग्री एवं सेवाएं माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में ली गई जिसका विवरण संलग्न है। प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-16 (पृष्ठ संख्या : 143-146)	
निर्णय	उक्त परिपत्र के अनुसरण में आवश्यक प्रकृति की क्रय की गई सामग्री एवं ली गई सेवाएं की पुष्टि की गई।	
448	विश्वविद्यालय में ऑनलाईन कार्यालय पद्धति प्रारम्भ करने के उद्देश्य एवं माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में "यू.एम.एस." पद्धति लागू की जानी प्रस्तावित है। प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष सैद्धान्तिक सहमति हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-17 (पृष्ठ संख्या : 147-155)	
निर्णय	प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के माध्यम से ऑनलाईन कार्यालय पद्धति करवाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों की अलग-अलग कार्य प्रकृति होने के कारण ऑनलाईन कार्यालय कार्यपद्धति विश्वविद्यालय स्तर पर ही निष्पादन करवाया जाना उचित होगा।	
टेबल मद		
471	विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक कर्मचारियों के नवीन पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रबन्ध बोर्ड से अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-18	
निर्णय	उक्त प्रस्ताव में तकनीकी सहायक (मैकेनिकल), तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रिक) एवं विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधा यथा ऑडिटोरियम, इण्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वेलोड्रम, एथेलेटिक ट्रैक आदि के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पदों को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का अनुमोदन किया गया।	


Handwritten signature

472	शोध आर्डिनेंस-101 में हुए परिवर्तन को अनुशंसित करने का प्रस्ताव। परिशिष्ट-19	
निर्णय	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शोध आर्डिनेंस-101 में हुए परिवर्तन को अनुशंसित करते हुए अनुमोदन हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को भिजवाने का निर्णय लिया गया।	
473	कुलपति सचिवालय में आगन्तुकों हेतु चाय-नाश्ता आदि की व्यवस्था का प्रस्ताव। परिशिष्ट-20	
निर्णय	अनुमोदित किया गया।	

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

	(1) डॉ. अम्बिका ढाका, सहायक आचार्य-इतिहास द्वारा केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत स्टेज-I से स्टेज-II (AGP 6000/- से 7000/-) पर प्रोन्नत हेतु पात्रता तिथि में संशोधन हेतु डॉ. अम्बिका ढाका द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर चर्चा करते हुए प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आगामी सी.ए.एस. स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया।	
	(2) महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति, बीकानेर एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रपति महात्मा गाँधी जी की 150 वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आर्थिक अनुदान देने के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समीक्षा कराने का निर्णय लिया गया।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


(यशपाल अरहुजा)
सदस्य सचिव